ई-मेल

संख्या-35/2024/839/एक-1-2024-1-1/82/2024-रा0-1

प्रेषक,

पी0 गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर खीरी।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 20 नवम्बर, 2024**

विषयः- यूनिट हेड, बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट कुम्भी को ग्राम कुम्भी, परगना मगदापुर, तहसील गोला में केमिकल प्लांट की स्थापना/भण्डारण एवं विनिर्माण सुविधाओं हेतु विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-502/बल0ची0मी0लि0/भूमि क्रय-अनु0/डीएलआरसी दिनांक-24.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यूनिट हेड, बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट कुम्भी को ग्राम कुम्भी, परगना मगदापुर, तहसील गोला में केमिकल प्लांट की स्थापना/भण्डारण एवं विनिर्माण सुविधाओं हेतु विहित सीमा से अधिक आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा संस्था को 38.4451हे0 (95 एकड़) भूमि क्रय करने की दी गयी अनुमति के अतिरिक्त 16.187हे0 (40 एकड़) भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-4 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में राज्यपाल महोदया यूनिट हेड, बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट कुम्भी को ग्राम कुम्भी, परगना मगदापुर, तहसील गोला में केमिकल प्लांट की स्थापना/भण्डारण एवं विनिर्माण सुविधाओं हेतु विहित सीमा से अधिक आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा संस्था को 38.4451हे0 (95 एकड़) भूमि क्रय करने की दी गयी अनुमति के अतिरिक्त 16.187हे0 (40 एकड़) भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) यूनिट हेड, बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट कुम्भी की स्थापना हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम भूमिधरों से आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। यह आदेश किसी भी भूमिधर को उसकी भूमि को विक्रय हेतु बाध्य नहीं करता है।

(2) यदि संस्था 89 की उपधारा-(4) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-99/98 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन होगा।

(5) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(8) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) संस्था द्वारा क्रय हेतु प्रस्तावित भूमियों के अधिकार, हित व स्वत्व की वैधता की जांच आधार वर्ष से जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/ प्राधिकरणों/मा0 न्यायालयों/मा0 न्यायाधिकरणों आज के निर्णय/प्रावधान उक्त भूमियों, उन पर स्थापित संरचनाओं और कार्यकलापों पर लागू होगा।

(11) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,
पी0 गुरुप्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(3) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

(4) अधिकृत हस्ताक्षरी, **BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED,FMC Fortuna, 2nd Floor, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata** 700020 ।

(5) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in